

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(13) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2019/ 4561-70

जयपुर, दिनांक 21/6/19

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),  
बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़,  
पाली, चूरू एवं नागौर।

विषय:- खरीफ सम्वत् 2075 में सूखाग्रस्त जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य पशुपालकों एवं भूमिहीन किसानों के पशुओं हेतु घोषित पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.1(4)आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2018/18874-94 दिनांक 19.11.2018 से राज्य के 9 जिलों के 5555 ग्रामों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 17.5.19 तक प्रभावी थी। किन्तु सूखे की गम्भीर स्थिति को देखते हुए अधिसूचना कमांक 1960-80 दिनांक 27.2.19 द्वारा अभाव अवधि दिनांक 15.7.19 तक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिसूचना दिनांक 15.7.19 तक प्रभावी रहेगी।

अभावग्रस्त घोषित गांवों में अभाव अवधि के दौरान गोपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये बजट प्रावधान के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों तथा भूमिहीन पशुपालकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोड़े गये गौवंश के संरक्षण हेतु पंजीकृत गौशालाओं को पशु शिविर के रूप में घोषित कर पशु शिविर संचालन करने के लिये राहत सहायता की स्वीकृति जारी करने हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. अभाव अवधि के दौरान पशुशिविर के रूप में घोषित गौशालाएं अधिसूचना अवधि तक लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों तथा भूमिहीन पशुपालकों द्वारा छोड़े गये पशुओं के लिए गौवंश संरक्षण हेतु पशुशिविर के रूप में कार्य करेंगी।
2. इन गौशालाओं को पशुशिविर घोषित किये जाने के उपरान्त ही केवल अभाव अवधि में बढ़े हुए गौवंश (लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों तथा भूमिहीन पशुपालकों द्वारा छोड़े गये) हेतु ही राहत सहायता का पुनर्भरण किया जावेगा।
3. जिला कलेक्टर विभागीय दिशा-निर्देश जारी होने के पश्चात् अभाव अवधि (15.7.19) तक ही राहत सहायता स्वीकृत करेंगे, ऑफ लाईन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

4. इस प्रक्रिया के तहत घोषित पशुशिविर संचालकों द्वारा राहत सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए “[www.sso.rajasthan.in](http://www.sso.rajasthan.in)” पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् विभागीय एप्लीकेशन “dmis” के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। विभागीय एप्लीकेशन पर ऑनलाईन आवेदन किया जावेगा। घोषित पशुशिविरों को आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं शपथ—पत्र (प्रारूप संलग्न) पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त आवेदन को सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह के भीतर गौवंश संख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन—पत्र की जांच कर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव जिला कलक्टर को ऑनलाईन ही अग्रप्रेषित करेंगे। यदि तहसीलदार घोषित पशुशिविर के आवेदन की तहसील में प्राप्ति तिथि से दो दिवस के भीतर जांच कर प्रस्ताव का निस्तारण/जिला कलक्टर को प्रेषित नहीं करता है तो जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए तहसीलदार की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को सूचित करेंगे।
5. जिला कलक्टर कार्यालय में तहसील से पशुशिविर राहत सहायता प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर सॉफ्टवेयर के माध्यम से दो दिवस के भीतर प्राप्त प्रस्ताव का निस्तारण/स्वीकृति जारी करेंगे।
6. लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों तथा भूमिहीन पशुपालकों के लाभान्वित पशुओं की सूची ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, उपखण्ड एवं जिला स्तर पर नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु उक्त सूची जिला स्तर की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
7. घोषित पशुशिविरों को किसी भी परिस्थिति में राहत सहायता तहसीलदार के प्रथम निरीक्षण से देय नहीं होगी। जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से ही राहत सहायता का भुगतान किया जावेगा।
8. घोषित पशु शिविरों की अन्यत्र संचालित शाखा को राहत सहायता की स्वीकृति के लिए मान्य नहीं किया जावे।
9. घोषित पशु शिविरों में संधारित किये जाने वाले गौवंश की कोई अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।
10. जिला कलक्टर द्वारा जिला स्तर पर जारी की गई स्वीकृति को संदर्भित करते हुए सविवरण बजट की ऑनलाईन मांग विभाग को प्रस्तुत की जावेगी। विभाग द्वारा बजट आवंटन के पश्चात् यथा प्रक्रिया समुचित प्रमाणीकरण के पश्चात् जिला कलक्टर द्वारा सहायता का भुगतान किया जाएगा।

#### 11. सहायता दर—

घोषित पशुशिविरों द्वारा केवल अभाव अवधि के दौरान बढ़े हुए पशुओं ( लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों तथा भूमिहीन पशुपालकों के पशुओं हेतु) हेतु राज्य सरकार के गोपालन विभाग द्वारा ‘गौवंश संरक्षण निधि’ से उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान के आधार पर किया जावेगा।

## 12. पशु आहार-

- (1) आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा निर्मित अथवा आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा कय किया जाकर पशुशिविरों हेतु विकय किये गये पशु आहार हेतु ही राहत सहायता देय होगी।
- (2) निर्धारित दर से राहत सहायता उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि घोषित पशुशिविर संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे गौवंश को चारे के साथ-साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा.पशु आहार बडे गौवंश हेतु तथा  $1/2$  कि.ग्रा. पशु आहार छोटे गौवंश को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित मात्रा में पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आर.सी.डी.एफ./राजफैड की प्रचलित बाजार दर से पशु आहार की राशि बडे पशु तथा छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों में से काटी जाकर शेष राशि ही राहत सहायता स्वरूप स्वीकृत की जावे।
- (3) घोषित पशुशिविरों में जितने गौवंश की स्वीकृति जारी की जावे, उन पशुओं के पेटे 15.7. 2019 तक की अवधि के लिए पशु आहार हेतु जितनी राशि की आवश्यकता है, उतनी राशि जिला कलक्टर के द्वारा ऑनलाईन बजट की मांग पर दे दी जावेगी। यह राशि उनके द्वारा आर.सी.डी.एफ./राजफैड को अग्रिम दी जावेगी। उक्त राशि के आधार पर आर.सी.डी.एफ./राजफैड के द्वारा पशु आहार, संबंधित पशु शिविर में उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् उन घोषित पशु शिविरों के बिल प्राप्त होने पर पशु आहार की राशि की कटौति की जाकर जिला कलक्टर द्वारा शेष राशि पशु शिविर संचालक को दे दी जावेगी।

## 13. निरीक्षण मापदण्ड-

राहत सहायता हेतु अनुमत सभी घोषित पशुशिविरों का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैं:-

| क्र.सं. | नाम अधिकारी   | न्यूनतम निरीक्षण                           | कार्यक्षेत्र   |
|---------|---|--|----------------|
| 1       | तहसीलदार/विकास अधिकारी  | 25 प्रतिशत                                 | तहसील/पं.समिति |
| 2       | उपखण्ड अधिकारी  | 10 प्रतिशत                                 | उपखण्ड         |
| 3       | अति.जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से) | 5 प्रतिशत                                  | जिला           |
| 4       | जिला कलक्टर   | यथासम्भव अधिकाधिक                          | जिला           |
| 5       | गौपालन/पशुपालन/चिकित्सा के अधिकारी  | प्रत्येक घोषित पशु शिविर में माह में 2 बार | तहसील/पं.समिति |

(i) घोषित पशुशिविरों की संचालन समिति में जिला कलक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि घोषित पशुशिविर संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलक्टर के प्रतिनिधि उपस्थित हों।

(ii) घोषित पशुशिविरों के लेखे जोखे पृथक रूप से सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जाकर मौके पर उपलब्ध रखे जावेंगे। घोषित पशुशिविरों में निम्नलिखित रजिस्टरों का संधारण पृथक रूप से किया जावे—

|    |  |
|----|--|
| क— | खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर   |
| ख— | अभाव अवधि के दौरान बढ़े हुए पशुओं का रजिस्टर (लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये पशु) |
| ग— | दैनिक खर्च रजिस्टर   |
| घ— | दैनिक खर्च का हिसाब  |

निरीक्षणों की रिपोर्ट विभागीय एप्लीकेशन “dmis” पर अपलोड की जावेगी।

14. घोषित पशुशिविरों हेतु राहत सहायता स्वीकृत हो जाने के उपरान्त जिला कलक्टर प्रत्येक 15 दिवस में उक्त गतिविधि में हुई प्रगति से निर्धारित प्रारूप में विभाग को अवगत करायेंगे।
15. यदि घोषित पशुशिविरों के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण के पश्चात ही राहत सहायता स्वीकृत की जावे।
16. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत घोषित पशुशिविरों में गौवंश वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जावे एवं निरीक्षण के दौरान गौवंश की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाएं आदि के विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त गौवंश के बढ़ोतरी के प्रस्तावों की अनुशंसा से स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावे। राहत सहायता राशि के बिल एक पखवाड़े में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा गौवंश की संख्या में वृद्धि की वास्तविक दिनांक से ही राहत सहायता देय होगी।
17. घोषित पशु शिविर संचालक को सहायता राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में ‘DBT द्वारा किया जावेगा।
18. इन निर्देशों के तहत स्वीकृत घोषित पशुशिविरों का भुगतान राज्य सरकार के गोपालन विभाग द्वारा ‘गौ संरक्षण निधि’ से उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान के आधार पर किया जावेगा।
19. घोषित पशुशिविरों का विभाग/जिला कलक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/विडियोग्राफी करवायी जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पाई जाने पर संबंधित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

20. अभाव अवधि के दौरान बढ़े हुए गौवंश (लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों तथा भूमिहीन पशुपालकों द्वारा छोड़े गये) के लिए गौशालाओं द्वारा पृथक बाड़ा बनाया जाकर इसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड पृथक से संधारित करना आवश्यक होगा।
21. दिशा-निर्देशों की प्रति सम्बन्धित माननीय विधायक को भी प्रेषित की जावे।
22. अभावग्रस्त जिलों में संचालित घोषित पशुशिविरों को राहत सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु यथासमय उचित माध्यम द्वारा सूचित करना भी सुनिश्चित करें।

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज.,जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ,राज.,जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0., जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
9. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
10. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर एवं जैसलमेर।
11. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. समर्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
13. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
14. गार्ड फाईल।

  
संयुक्त शासन सचिव

## शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... उम्र.....

निवासी ..... तहसील ..... जिला का निवासी हूं। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि

1. मेरी संस्था का नाम ..... एवं संस्था का पंजीयन संख्या ..... यह है।
2. मेरे घोषित पशुशिविर के संचालन का स्थान ..... तहसील का नाम ..... जिले का नाम ..... यह है।
3. मेरे घोषित पशुशिविर में वर्तमान में अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों एवं भूमिहीन पशुपालकों के द्वारा छोड़े गये ..... बड़े ..... छोटे कुल ..... पशु संधारित हैं।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से मेरे घोषित पशु शिविर का आकर्षिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूं कि आकर्षिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं घोषित पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
7. जिले द्वारा समय—समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

शपथग्रहिता

मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... उम्र.....

निवासी ..... शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

शपथग्रहिता